शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक

संख्या-07/2018/225/38-4-18-14(विविध)/2016 टी0सी0-।।

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2018

विषयः-Identification of additional beneficiaries for inclusion in the Permanent Wait List of PMAY-G Procedure to be adopted-Reg. I

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-270/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2018 दिनांक 02 फरवरी,2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या- J-11060/16/2017-RH(M&T), दिनांक 24.01.2018 में की गयी अपेक्षा कि- & "The list of households identified by Gram Sabha need to be submitted to the Competent Authority, notified by the State/UT Government for the purpose . The Competent Authority shall enquire into the list submitted by Gram Sabha and also applications received directly by such Authority and submit a report to the Appellate Authority. notified by respective State/UTs for the purpose." के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी को Competent Authority के रूप में नामित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त योजनान्तर्गत भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.01.2018 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को Competent Authority के रूप में नामित किया जाता है।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 07/2017/225(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।